

संख्या 252 - काविनी एवं वे०प्र० - 29 / पाकालि / 2019 - 17-वे०प्र०(30) / 2002 दिनांक 08 मार्च, 2019

कार्यालय झाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-516-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2015-17-वे०प्र०(30)/02 दिनांक 04.07.2015 द्वारा रू० 100/- प्रतिमाह की दर से साईकिल भत्ता अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145(46)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में साईकिल भत्ता रु0 100/- प्रतिमाह के स्थान पर रु0 200/- प्रतिमाह की दर से तत्काल प्रभाव अर्थात् आदेश निर्गतन की तिथि से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. साईकिल भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिषद/कारपोरेशन आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 252 -(I) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) अध्यक्ष, उ०प्र० पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3) प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- 4) समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5) पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7) समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8) अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पा०का०लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, लखनऊ।
- 9) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 10) संयुक्त सचिव (स०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 11) समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 12) समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 13) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
- 14) अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 15) समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16) कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145(46)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 17) अधिशासी अभियंता (वेब) कक्ष सं०-407 शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अन् सचिव (का०वि०नी०)